

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 551]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 3 अक्टूबर 2018—आश्विन 11, शक 1940

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2018

संशोधन

अधिसूचना क्रमांक 37-एफ-1-15-2016-अठारह-3.—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) के अंक क्रमांक 424 में नगरीय विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना क्रमांक 27 एफ-1-15-2016-अठारह-3, दिनांक 19 अक्टूबर 2016 से नगरपालिका परिषद् सिरोंज में नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को पार्षद के रूप में मनोनीत किये गये थे, उक्त जारी अधिसूचना में जिला विदिशा की नगरपालिका परिषद् सिरोंज में क्रमांक 2 पर त्रुटिपूर्ण नाम अंकित हो गया है के स्थान पर निम्नानुसार अंकित संशोधित नाम एवं पता पढ़ा जाये:—

क्र.	नगरपालिका परिषद् का नाम	नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम पिता/पति का नाम एवं पता	संशोधित नाम एवं पता
(1)	(2)	(3)	(4)
1	नगरपालिका परिषद्, सिरोंज जिला विदिशा.	श्री अमित नेमा श्री मदनलाल नेमा वार्ड 18 राजपथ सिरोंज जिला विदिशा.	श्री मूलचंद नेमा पुत्र श्री मदनलाल नेमा निवासी वार्ड 18 सिरोंज जिला विदिशा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लोकेश कुमार जांगिड, उपसचिव.